कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 2039 XXV–12/2015 देहरादूनः दिनांक 18 अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री सागर सिंह,
म0नं0–13, R.K पुरम,
तरला अधोईवाला,डालनवाला
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आपके अपीलीय पत्र दिनांक 12–04–2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें। कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी के पत्र संख्या–1784 दिनांक 05 अप्रैल, 2019 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना से सन्तुष्ट न होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त अपील पर सुनवाई हेतु **दिनांक 02 मई ,2019** की तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः उक्त निर्धारित तिथि को समय 11.00 बजे पूर्वान्हः अपील पर सुनवाई हेतु सचिवालय परिसर योजना भवन, प्रथम तल स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें। यदि आप सहमत हो तो उक्त नियत तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय समय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर संबंधित पत्रावली/अभिलेख आदि का अवलोकन कर सकते हैं।

भवदीय,

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पृ0 संख्या– 2039/XXV–12/2015 , तदि्दनांकित

प्रतिलिपि अनुभाग अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह निर्धारित तिथि व समय पर अपील की सुनवाई हेतु उपस्थित होते हुए उक्तानुसार विभागीय पक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पंजीकृत

सेवा मे,

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल
सुभाष रोड, सचिवालय परिसर,
देहरादून ।

सन्दर्भ :- पत्रांक सं0-1784/XXV-12(P-7) 2008 देहरादून 05/4/19

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रथम विभागीय अपील के सम्बन्ध मे।

महोदय, :- उपरोक्त पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके परिपेक्ष मे अनुरोधकर्ता द्वारा आपके विभाग से जो सूचना मांगी गई थी उसके अनुसार वांछित सूचना अनुरोधकर्ता को प्रदान नही की गई है और जो सूचना (बिन्दु-01) प्रदान की गई है वह अपूर्ण है तथा अपीलकर्ता इस सूचना से सन्तुष्ट नही है।

अतः इस सम्बन्ध मे अपील स्वीकार करने का कष्ट करे।

(सागर सिंह)
म0 न0 :- 13 R.K पुरम
तरला अधोईवाला, पो0 :-
डालनवाला देहरादून
248001 (U.K)

दिनांक :- 12/04/19

संलग्न :- प्रेषित सूचना का पत्र

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 1784 / XXV–12(P-7)/2008 देहरादूनः दिनांक 05 ~~मार्च~~ अप्रैल, 2019.

सेवा में,

श्री सागर सिंह,
म0नं0–13, R.K पुरम,
तरला अधोईवाला,डालनवाला
देहरादून।

विषयः– **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अनु सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–524/रा0नि0आ0–1/2595/2019 दिनांक 03 अप्रैल, 2019 जो इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है, उक्त पत्र के साथ संलग्न अपने आवेदन पत्र दिनांक 29 मार्च, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में चाही गयी वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु संख्या– 01	लोक सभा सामान्य निर्वाचन– 2019 मतदान दिवस के दिन अवकाश के संबंध में उत्तराखण्ड शासन सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय के शासनादेश संख्या–293/**XXXi**(15)/G/19//यू0ओ0 01(सा0)/2011 दिनांक 26 मार्च, 2019 की प्रति सत्यापित कर संलग्न प्रेषित है।

उक्त संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिये गये सुझाव इस कार्यालय से संबंधित नही है और न ही सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत आच्छादित है। अतः उक्त सूचना दी जानी सम्भव नही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैः–

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

भवदीय,

(डी0पी0 डंगवाल)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी

rti 2019